



ब्रिटेन में व्यवस्थापिका

Legislature in Britain

PAPER-IV (Semi-4)

DR. RAHUL KR PASWAN

DEPT of Pol. Sci

ब्रिटिश व्यवस्थापिका का हिस्सा में संसद कहें तो वह
वही संसद है जिस की प्राचीनतम व्यवस्थापिका को इसकी
प्राचीनता के चलते ही इसे संसदों का जननी कहा जाता है।
ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित दो अंग हैं -

1. लॉर्ड्स अंग (House of Lords)

2. कॉमन्स अंग (House of Commons)

~~संसदीय संप्रभुता~~ संप्रभुता अंग्रेजों में

अंग्रेजों में लॉर्ड्स अंग प्राचीन से और कॉमन्स
अंग का विकास लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल रूप में
पाया है। इन दोनों अंगों की शक्ति का बराबर ही, परंतु
बोर्ड-बोर्ड लॉर्ड्स अंग की शक्ति घटती गई और
कॉमन्स अंग की शक्ति बढ़ती गई। लॉर्ड्स अंग को
उच्च अंग और कॉमन्स अंग को निम्न अंग कहा जाता है।
ब्रिटिश संसद की संप्रभुता

संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश संसद की प्रमुख विशेषता
है। जहाँ अपेक्षाकृत संविधान में व्यापक व्यवस्था का
सिद्धांत अपनाया गया है।

संसद की संप्रभुता का अर्थ - ब्रिटिश संसद की
संप्रभुता के दो पक्ष हैं - (i) लाकपावक पक्ष और (ii)
नकारात्मक पक्ष। लाकपावक अर्थ से ब्रिटिश संसद
दोषांतरों की निषेध या कानून बना सकती है कानून-
निर्माण की इसकी शक्ति या शक्ति या कोई पाबंदी नहीं है
नकारात्मक अर्थ से, ब्रिटेन में ऐसी कोई संस्था या
निकाय नहीं है, जो ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानूनों को
अवैध या असांविधानिक घोषित कर सके। अपेक्षा में
मंत्रालय द्वारा पारित अधिनियमों को वह का संवैधानिक
व्यवस्थापक अवैध तथा असांविधानिक घोषित कर सकता
है।

ब्रिटिश न्यायालयों को संघीय विधियों को आवधिकार
को आंच करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
संप्रभुता के तत्व (Elements of Sovereignty)

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से ब्रिटिश संघ
की संप्रभुता के निम्नांकित तत्व उपर्युक्त हैं-

- (i) कोर्टों को ऐसी सजा नहीं दी जा सकती, जिसे संघ
नहीं पारित कर सकता।
- (ii) कोर्टों को ऐसी सजा नहीं दी जा सकती, जिसे ब्रिटिश संघ
आमान्य धारित नहीं कर सकता।
- (iii) संघ द्वारा कानून बनाए गए कानूनों को न्यायालय को
अपना चुनौती नहीं दी जा सकती और न न्यायालय
इन्हें अवैध धारित कर सकता है।
- (iv) कोर्टों को आमान्य कानून और मौखिक कानून में कोई
आंतर नहीं करता जाता है।
- (v) कोर्टों में रहने वाले सभी लोग संघ द्वारा पारित
कानूनों के पालन के लिए बाध्य हैं।

इन तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है
कि ब्रिटिश संघ निश्चित रूप से संप्रभु है और वह
अपने अधिकार क्षेत्र के आंतरगत कड़ा निर्णय ले सकती है
निष्पत्ति: इन संप्रभु तथ्यों का विश्लेषण

करने से स्पष्ट होगा कि कोर्टों में संघ की संप्रभुता
का विचार विभिन्न स्तरों से धारित है। डागली ने इस बात
कि संघीय संप्रभुता के दो पक्ष हैं - वैधानिक और
राजनीतिक। वैधानिक संप्रभुता राजनीतिक संप्रभुता के अधीन
है क्योंकि ब्रिटिश संघ वैधानिक संप्रभुता का प्रतीक है
और वह राजनीतिक संप्रभुता जनता में निवास करती
है, इसलिए वैधानिक स्तर से संघ को कुछ भी
ब्रिटिश संघ रोक नहीं सकता और कानून का निर्माण नहीं
कर सकती, जो ब्रिटिश जनता के हित के
प्रतिफल है।